# राजस्थान विधान सभा सचिवालय

**:आज्ञा:**

**संख्या**: 177 /संस्था/विस/2018

जयपुर, दिनांक 04 अप्रेल, 2018.

राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा वर्ष 2017 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आयोजित साक्षात्कार में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के अन्तर्गत श्री रामेन्द्र सिंह बैंसला पुत्र श्री गोपाल सिंह गुर्जर (रोल नं. 16280) को अस्थायी आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 12400/- प्रतिमाह एवं परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरांत पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या L-1 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है :-

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को उनके द्वारा कार्यभार संभालने की प्रत्याशित दिनांक से यथासमय सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने हेतु अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

3. अभ्यर्थी की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से मान्य होगी।

4. उपरोक्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 में परिशिष्ठ-IV के अन्तर्गत एवं समय-समय पर संशोधित नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।

5. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

6. परिवीक्षा काल में प्रत्येक तीन माह की अवधि में उपरोक्त अभ्यर्थी के कार्य एवं व्यवहार की समीक्षा की जाएगी। यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उसे किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

7. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी आधार पर है, परन्तु इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप में स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में इनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के अन्तर्गत स्थायी आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

8. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पे मेट्रिक्स के लेवल L-1 पर करते हुए नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

9. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राज्य सरकार के नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

11. यदि उक्त अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में नियोजित है तो उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

12. उक्त नियुक्ति समय-समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत शामिल होंगी एवं समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

13. कार्यभार संभालने पर उपरोक्त अभ्यर्थी को शिक्षा, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेज मूल रूप में इस सचिवालय को प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज/सूचना में कोई कमी पाई जाती है अथवा दस्तावेज कूटरचित/असत्य/फर्जी पाए जाते है तो इस सचिवालय द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी।

14. निर्धारित अवधि में कार्यभार न सम्भालने अथवा विवेच्य पद के लिए अपात्र पाये जाने पर वरीयता सूची में अगले क्रम पर अंकित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

15. उपरोक्त अभ्यर्थी को राज्य सरकार की छोटे परिवार को प्रोत्साहित करने की नीति के संदर्भ में, दिनांक 01/06/2002 एवं इसके पश्चात तीसरी संतान संबंधी प्रावधान का उल्लंघन न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. उपरोक्त अभ्यर्थी को इस सचिवालय में कार्यभार सम्भालने की दिनांक से एक माह की अवधि में संबंधित पुलिस थाने से चरित्र सत्यापन (Character verification by Police) तथा सक्षम

चिकित्सा प्राधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में संबंधित अभ्यर्थी की सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

17. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

**आज्ञा से,**

गिरिराज 04.04.18

**(गिरिराज बाँगड़)**
**उप सचिव (प्रशासन)**

## राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या: एफ. 3(4)संस्था/विस/2018/ 3190 - 3210

जयपुर, दिनांक 04 अप्रेल, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, 50 सिविल लाईन्स, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/वैयक्तिक सचिव/निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष/माननीय सरकारी मुख्य सचेतक/माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव/निजी सहायक, वरिष्ठ उप सचिव/समस्त उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. सम्पादक (वाद-विवाद/मुद्रण), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. मार्शल, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
9. मुख्य अन्वेषण एवं सन्दर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर, वे कृपया उक्त आदेश को इस सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करायें।
10. पुस्तकालयाधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
12. श्री रामेन्द्र सिंह बैंसला पुत्र श्री गोपाल सिंह गुर्जर, ग्राम छूरखेडा, पोस्ट खोंचपुरी, तहसील महवा, दौसा, राजस्थान।
13. संबंधित पंजिका।
14. सूचना पट्ट।

गिरिराज 04.04.18

**(गिरिराज बाँगड़)**
**उप सचिव (प्रशासन)**